



2026:AHC:54660

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 1109/2026

मुबीना

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...प्रतिपक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : ब्रह्मानंद त्रिपाठी, प्रद्युम्न त्रिपाठी, सनिध्य पांडेय

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला.

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. उपस्थित हैं।
2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से वाद अपराध संख्या 52/2025, धारा 108, 351(2), 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता, 2023, थाना-बसई अरेला, जनपद-आगरा में विचारण की अवधि तक अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को इस वाद में झूठा फँसाया गया है तथा निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की प्रार्थना की गई है—

(i) आवेदक मृतक की पत्नी है, जिसके संबंध सह-अभियुक्त राजू के साथ होने का आरोप लगाया गया है।

(ii) प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 15/16.06.2025 की रात्रि लगभग 12:00 बजे आवेदक सह-अभियुक्त राजू से वार्ता कर रही थी, जो मृतक के घर आया हुआ था। मृतक द्वारा इसका विरोध किए जाने पर आवेदक एवं सह-अभियुक्त द्वारा मृतक को अपशब्द कहे गए एवं अपमानित किया गया, जिससे कथित रूप से मृतक ने आत्महत्या कर ली।

(iii) यदि प्राथमिकी को यथावत स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध बनाने हेतु आवश्यक तत्व प्रकट नहीं होते हैं।

(iv) मृतक द्वारा एक आत्महत्या-पत्र छोड़ा गया है, जिसे प्रति-हलफनामे के साथ अभिलेख पर लाया गया है। यद्यपि वह आंशिक रूप से अपठनीय है, तथापि उसमें यह संकेत मिलता है कि आवेदक का सह-अभियुक्त राजू के साथ संबंध था तथा दोनों मृतक की बातों को नहीं सुनते थे।

(v) आत्महत्या-पत्र को भी यथावत मान लेने पर आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं होता।

(vi) आवेदक का सह-अभियुक्त राजू के साथ कोई संबंध नहीं था तथा प्राथमिकी में पूर्णतः असत्य आरोप लगाए गए हैं।

(vii) आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और सह-आरोपी राजू को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन U/S 482 BNSS संख्या 10616/2025 में पारित आदेश दिनांक 27.02.2026 के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में स्पष्ट रूप से अंकित है तथा आत्महत्या-पत्र में भी उसका उल्लेख है, अतः उसे कोई राहत प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
7. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से आरोपों का जो सार सामने आता है, वह यह है कि आवेदक का कथित तौर पर सह-आरोपी राजू के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था, जिस पर मृतक ने आपत्ति जताई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी प्रेम-प्रसंग के कारण मृतक ने यह चरम कदम उठाया।
8. न्यायालय की राय में, प्रथमदृष्टया यदि आरोपों को यथावत भी मान लिया जाए, तो मात्र किसी पुरुष के साथ कथित संबंध होना, भारतीय न्याय संहिता की धारा 45 के अंतर्गत परिभाषित दुष्प्रेरण का गठन नहीं करता है। साथ ही, यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा सह-अभियुक्त राजू को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। अतः इन परिस्थितियों में आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना उचित है।
9. परिणामस्वरूप, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
10. उपर्युक्त अपराध मामले में शामिल आवेदक-**मुबीना** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी /न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, जिसके साथ निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी—
 - (i) आवेदक आवश्यकतानुसार पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ हेतु उपस्थित होगी;
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी जिससे वह न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य उजागर करने से विरत हो;
 - (iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी;
 - (iv) आवेदक अभियोजन साक्षियों को प्रभावित/डराने का प्रयास नहीं करेगी;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को अग्रिम जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु की गई हैं तथा वाद के गुण-दोष पर अंतिम अभिमत नहीं मानी जाएंगी।

दिनांक: 17 मार्च, 2026

कीर्ति

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।